

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् –सह– विशेष न्यायालय, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं०-1177/2026

(सिवान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति थाना काण्ड सं०-93/2025)

08.06.2026

आवेदक अभियुक्त 1. फुल कुमारी उर्फ फुल कुमारी देवी 2. महेश चौधरी 3. मन्नु कुमार उर्फ मन्नु चौधरी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने सम्बंधी दाखिल आवेदन पर सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया। फलतः आवेदकपक्ष की ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन वापस लिये जाने के कारण बिना गुण-दोष पर विचार किये खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

ह०/-

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम्

08.06.2026